प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 19.03.2025

मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में 5000 रुपये का इनामिया 1 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सहजनवां के नेतृत्व में उ0नि0 घनश्याम उपाध्याय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 38/2022 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित 5000 रुपये का इनामिया अभियुक्त हरनाम सिंह उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.02. 2022 को STF उत्तर प्रदेश पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 04 नफर अभियुक्तों को 469 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसमें वांछित अभियुक्त उपरोक्त के गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हरनाम सिंह उर्फ राहुल पुत्र मक्खन सिंह निवासी अब्बूनगर थाना हजरतनगर गढ़ी जनपद सम्भल

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 38/2022 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 घनश्याम उपाध्याय थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
2. कां0 अजय वर्मा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
3. कां0 सुरेन्द्र कुमार रावत थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर